Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies
Online Copy of Document Available on: www.svajrs.com

ISSN:2584-105X Pg. 238-245

महिला सशक्तीकरण में क्षेत्रीय विषमताएँ: भारत में ग्रामीण विकास योजनाओं का भौगोलिक विश्लेषण

रजनीश राय (शोध छात्र)
प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०
प्रो० अखिलेश कुमार पांडेय (शोध निर्देशक)
पी० जी० कॉलेज पट्टी, प्रतापगढ़, उ० प्र०

Accepted: 18/05/2026
Published: 19/05/2026 *DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.20282341*

सारांश

भारत का ग्रामीण समाज लिंग, वर्ग, जाति, स्थानिक पहुँच और संसाधन-असमानता की जटिल संरचनाओं से प्रभावित है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ी है, पर वास्तविक सामाजिक-आर्थिक उन्नयन तभी माना जाएगा जब आय, परिसंपत्ति-अधिकार, वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य, गरिमा, गतिशीलता और निर्णय-क्षमता में स्थायी सुधार दिखाई दे। यह शोध-पत्र भारत के ग्रामीण परिदृश्य के द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित एक भौगोलिक विश्लेषण है, जिसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM), विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एवं आजीविका मिशन - ग्रामीण (VB G-RAM G) पूर्व नाम मनरेगा , प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) के माध्यम से महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया को समझा गया है। अध्ययन से स्पष्ट है कि योजनाओं का प्रभाव केवल नीति-प्रावधानों पर नहीं, बल्कि बैंकिंग पहुँच, संस्थागत घनत्व, सड़क-संपर्क, प्रशासनिक क्षमता, पितृसत्तात्मक मानदंडों और क्षेत्रीय विकास स्तर पर भी निर्भर करता है। दक्षिण और कुछ पूर्वी राज्यों में परिणाम अपेक्षाकृत बेहतर हैं, जबकि अनेक मध्य, उत्तरी तथा दुर्गम क्षेत्रों में लाभ का विस्तार असमान है। निष्कर्षतः, ग्रामीण विकास योजनाएँ महिला सशक्तीकरण की महत्त्वपूर्ण वाहक हैं, पर उनका प्रभाव स्थानविशेष की सामाजिक-भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप क्रियान्वयन पर निर्भर करता है।

मुख्य शब्द :- *महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण विकास, सामाजिक-आर्थिक उन्नयन, भौगोलिक अध्ययन, स्वयं सहायता समूह, विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एवं आजीविका मिशन - ग्रामीण (VB G-RAM G) पूर्व नाम मनरेगा , ग्रामीण आवास, ग्रामीण स्वच्छता*

1.प्रस्तावना

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान केंद्रीय है, किंतु यह योगदान अक्सर अदृश्य और कम मूल्यांकित रहा है। कृषि, पशुपालन, घरेलू श्रम, जल-ईंधन संग्रह, देखभाल और पूरक आय-सृजन जैसी गतिविधियों में उनकी निरंतर भागीदारी के बावजूद संपत्ति-अधिकार, पारिश्रमिक, शिक्षा, तकनीकी पहुँच और निर्णय-निर्माण में उनकी स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर रहती है. इसीलिए ग्रामीण महिला-उन्नयन केवल कल्याण का नहीं, बल्कि विकास-न्याय और स्थानिक समानता का प्रश्न है।

यदि भारत में महिलाओं की कार्य-भागीदारी के दीर्घकालीन परिदृश्य को देखें तो असमानता और परिवर्तन दोनों साथ-साथ दिखाई देते हैं। "भारत में महिला और पुरुष" के अनुसार जनगणना 2011 में महिलाओं की कार्य-भागीदारी दर 25.51 प्रतिशत थी, जबकि ग्रामीण महिलाओं की कार्य-भागीदारी दर 30.02 प्रतिशत दर्ज की गई थी. इसके बावजूद आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (periodic labour force survey (PLFS) 2023-24 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की समग्र श्रम-शक्ति भागीदारी दर 41.7 प्रतिशत तथा ग्रामीण महिलाओं की श्रम-शक्ति भागीदारी दर 47.6 प्रतिशत दर्ज की गई. [1] यह वृद्धि महत्वपूर्ण है, परंतु इसे स्वतः सशक्तीकरण नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम में भागीदारी के साथ आय की गुणवत्ता, कार्य की स्थिरता, परिसंपत्ति पर नियंत्रण, बैंकिंग पहुँच, समय-बचत, सुरक्षा, गरिमा और सामुदायिक प्रतिनिधित्व जैसे पहलुओं का भी मूल्यांकन आवश्यक है।

इसी बिंदु पर ग्रामीण विकास योजनाएँ नीति-उपकरण के रूप में अत्यंत महत्त्वपूर्ण बनती हैं। ये योजनाएँ महिलाओं को रोजगार, ऋण, आवास, शौचालय, स्व-सहायता समूह, डिजिटल वित्तीय सेवाओं, आजीविका प्रशिक्षण और सामुदायिक मंचों से जोड़ती हैं। परंतु इन योजनाओं का प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र में समान नहीं होता। किसी राज्य या जिले में बैंक शाखाओं का घनत्व, स्वयं सहायता समूहों का इतिहास, पंचायतों की सक्रियता, परिवहन-संपर्क, साक्षरता स्तर, जातीय-सामाजिक संरचना और पितृसत्तात्मक नियंत्रण की तीव्रता-ये सब योजना-लाभ की प्रकृति और गहराई को प्रभावित करते हैं. [2] अतः महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उन्नयन का अध्ययन यदि भौगोलिक दृष्टि से किया जाए, तभी यह स्पष्ट होता है कि "एक ही योजना" अलग-अलग स्थानों पर अलग परिणाम क्यों उत्पन्न करती है।

यह शोध-पत्र इसी दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास योजनाओं की भूमिका का केवल वर्णन करना नहीं, बल्कि यह समझना है कि किस प्रकार ये योजनाएँ विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा, निर्णय-क्षमता, सुरक्षा, समय-उपयोग और सार्वजनिक सहभागिता को बदलती हैं। विशेष रूप से दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एवं आजीविका मिशन - ग्रामीण (VB G-RAM G), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) का तुलनात्मक विश्लेषण इस अध्ययन का आधार है।

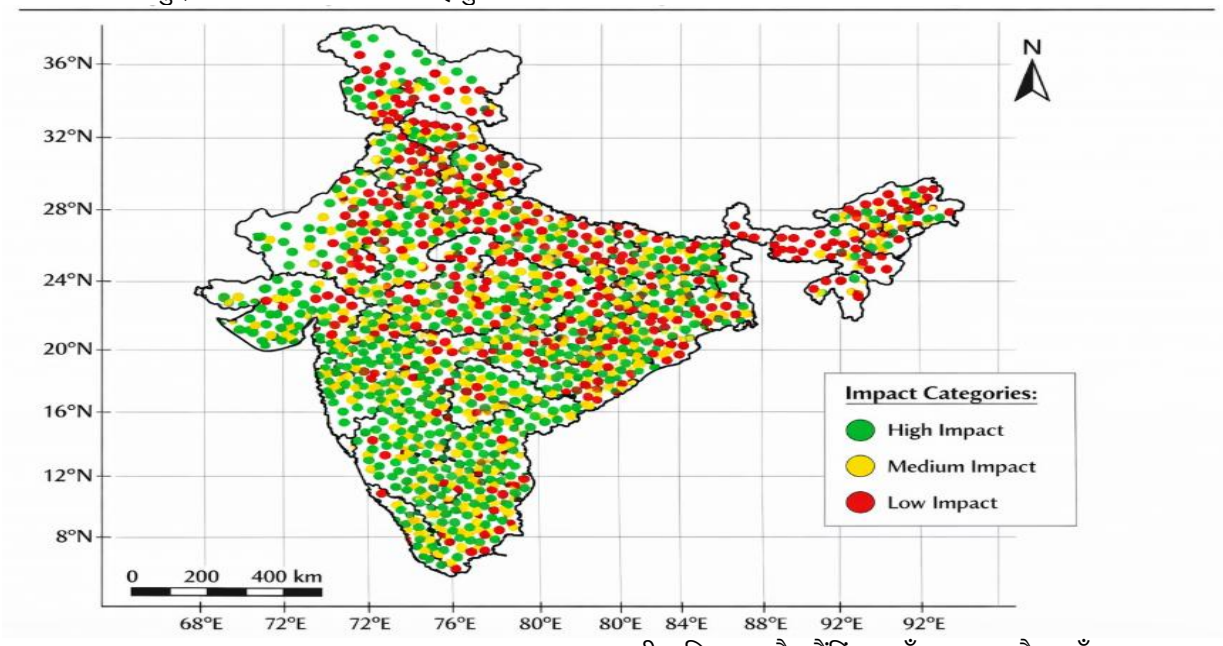

उपर्युक्त चित्र 1.1 यह दर्शाता है कि भारत में ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रभाव स्थानिक रूप से असमान है। दक्षिण और कुछ पूर्वी राज्यों में जहाँ संस्थागत ढाँचा, महिला समूहों की सक्रियता और बैंकिंग पहुँच मजबूत है, वहाँ उच्च प्रभाव क्षेत्र दिखाई देते हैं। इसके विपरीत, मध्य और उत्तरी भारत के कई राज्यों में सामाजिक-आर्थिक बाधाओं, पितृसत्तात्मक संरचना और प्रशासनिक सीमाओं के कारण योजनाओं का

[1] सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, *वार्षिक रिपोर्ट पर प्रेस नोट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (जुलाई 2023-जून 2024) 5* (नई दिल्ली, 2024)।

[2] A. अमरेंद्र रेड्डी और धर्म पाल मलिक, "ए रिव्यू ऑफ एसएचजी-बैंक लिंकेज प्रोग्राम इन इंडिया" 7 (2) *इंडियन जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट* 1, 3-5 (2011)।

प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित या मध्यम स्तर का है।

2. अध्ययन के उद्देश्य, परिकल्पना एवं शोध-पद्धति

यह शोध-पत्र तीन उद्देश्यों पर आधारित है: चयनित ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उन्नयन का विश्लेषण; योजनाओं के प्रभाव में क्षेत्रीय-विषमता की पहचान; और यह दिखाना कि महिला सशक्तीकरण केवल योजना-प्राप्ति से नहीं, बल्कि स्थानीय भौगोलिक और संस्थागत संदर्भ से भी निर्धारित होता है।

अध्ययन की केंद्रीय परिकल्पना यह है कि ग्रामीण विकास योजनाएँ महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उन्नयन में सकारात्मक भूमिका निभाती हैं, किंतु उनका प्रभाव सभी क्षेत्रों में समान नहीं होता। जहाँ बैंकिंग और प्रशासनिक पहुँच बेहतर है, महिला समूहों की संस्थागत जड़ें मजबूत हैं, सड़क और डिजिटल संपर्क उपलब्ध हैं तथा स्थानीय समाज में महिलाओं की गतिशीलता अपेक्षाकृत अधिक स्वीकृत है, वहाँ योजनाओं का प्रभाव अधिक गहरा दिखाई देता है। इसके विपरीत, जहाँ सामाजिक वंचना, भौतिक दुर्गमता और संस्थागत कमी एक साथ उपस्थित हैं, वहाँ योजनाओं का लाभ सीमित या सतही रह सकता है।
पद्धतिगत रूप से यह अध्ययन वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक तथा द्वितीयक स्रोत-आधारित है। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, प्रेस सूचना ब्यूरो, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) तथा स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज़ों का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त महिला सशक्तीकरण, स्वयं सहायता समूहों और गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन - ग्रामीण (G-RAM JI पूर्व नाम मनरेगा) के प्रभाव पर प्रकाशित शोध-लेखों की भी सहायता ली गई है. [3] विश्लेषण की इकाई भारत के ग्रामीण राज्य/क्षेत्र हैं, और विवेचन में योजनागत संकेतकों, राज्यवार भिन्नताओं, संस्थागत पहुँच तथा सामाजिक-स्थानिक संदर्भों को साथ रखकर पढ़ा गया है। इस प्रकार, प्रस्तुत अध्ययन "स्थानिक तुलना" और "योजनागत प्रभाव" दोनों को एक ही विश्लेषणात्मक ढाँचे में ग्रहण करता है।

3. सामाजिक-आर्थिक उन्नयन और भूगोल: एक वैचारिक रूपरेखा

"सामाजिक-आर्थिक उन्नयन" का अर्थ केवल आय में वृद्धि नहीं है। ग्रामीण महिलाओं के संदर्भ में इसका आशय आजीविका के अवसर, बचत और ऋण की पहुँच, परिसंपत्ति पर अधिकार, सुरक्षित आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य-संबंधी सुविधा, गरिमा, सार्वजनिक उपस्थिति, सामूहिक संगठन, तथा घरेलू और सामुदायिक निर्णयों में भागीदारी से है। यदि कोई योजना महिलाओं की कमाई बढ़ाती है परंतु उस आय पर नियंत्रण पुरुषों के हाथ में रहता है, तो उन्नयन आंशिक ही माना जाएगा। इसी तरह यदि आवास या शौचालय का निर्माण हो जाए, पर जलापूर्ति, रखरखाव या स्वामित्व-सुरक्षा न हो, तो योजना का सामाजिक प्रभाव सीमित रह सकता है।

यहीं भूगोल की भूमिका निर्णायक हो जाती है। किसी भी योजना का क्रियान्वयन विशिष्ट स्थानों, बस्तियों, पंचायतों और राज्यों में भिन्न परिस्थितियों के बीच होता है। सड़क-संपर्क, बैंक-दूरी, बाजार-निकटता, भू-आकृति, जल-स्रोत, बसावट-पैटर्न, प्रशासनिक घनत्व, शिक्षा और सामाजिक संरचना जैसी स्थितियाँ तय करती हैं कि महिलाएँ योजना तक पहुँचेंगी या नहीं, और पहुँचने पर लाभ किस रूप में प्राप्त होगा. [4]
उदाहरण के लिए, स्वयं सहायता समूह तभी सुदृढ़ होते हैं जब नियमित बैठक, बैंक-सम्पर्क, प्रशिक्षण, विपणन और सामाजिक पूंजी उपलब्ध हो। यह प्रायः उन क्षेत्रों में अधिक सफल होता है जहाँ स्थानीय संस्थाएँ सक्रिय हों और महिलाओं की सामूहिक उपस्थिति सामाजिक रूप से स्वीकृत हो। इसी प्रकार VB- G RAM G महिलाओं को स्थानीय स्तर पर मजदूरी-अवसर देता है, परंतु उसका वास्तविक लाभ वहाँ अधिक होता है जहाँ कार्यस्थल निकट हों, भुगतान व्यवस्था अपेक्षाकृत समयबद्ध हो और महिला श्रम को सामाजिक मान्यता प्राप्त हो। ग्रामीण आवास और शौचालय योजनाओं के मामले में भूमि-अधिकार, जल उपलब्धता, निर्माण सामग्री, तकनीकी सहायता और ग्राम-स्तरीय प्रशासनिक क्षमता परिणामों को प्रभावित करते हैं। इसलिए भौगोलिक अध्ययन यह बताता है कि नीति का प्रभाव "कहाँ", "किस पर" और "किस तीव्रता से" पड़ता है।

4. ग्रामीण विकास योजनाएँ और महिलाओं का उन्नयन

4.1 दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूह और वित्तीय समावेशन

महिलाओं के आर्थिक उन्नयन की दृष्टि से दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) सबसे केंद्रीय योजनाओं में से एक है, क्योंकि यह गरीब ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सामूहिक संगठन, बचत, बैंक-लिंकिंग, ऋण, उद्यमिता और सामुदायिक नेतृत्व से जोड़ती है। मार्च 2024 तक लगभग 10.04 करोड़ महिलाओं को 90.83 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जा चुका था. यह आँकड़ा अपने आप में दर्शाता है कि भारत के ग्रामीण परिदृश्य में महिला-संगठन का सबसे बड़ा संस्थागत ढाँचा स्वयं सहायता समूह (SHG) नेटवर्क के रूप में विकसित हो चुका है। केवल समूह-निर्माण ही नहीं, बल्कि वित्तीय प्रवाह भी उल्लेखनीय है-वित्तीय वर्ष 2023-24 में 56.63 लाख महिला स्वयं सहायता समूह

[3] Id.; रंजुला बाली स्वैन और फैन यांग वालेंटिन, "क्या माइक्रोफाइनेंस महिलाओं को सशक्त बनाता है? भारत में स्वयं सहायता समूहों से साक्ष्य" 23 *एप्लाइड इकोनॉमिक्स की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा* 541 (2009); अशोक पंकज और रुक्मिणी तन्खा, "महिला श्रमिकों पर नरेगा के सशक्तिकरण प्रभाव: चार राज्यों में एक अध्ययन" 45 (30) *आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक* 45 (2010)।

[4] A. अमरेंद्र रेड्डी और धर्म पाल मलिक, सुप्रा नोट 4 3-5 पर।

(SHG) को बैंकों द्वारा 2,08,933.28 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया. [5] इसके साथ ही मार्च 2024 तक 1,27,053 से अधिक BC सखियों की तैनाती और लगभग 1.35 लाख महिला बैंकिंग संवाददाताओं (female business correspondents or BANK SAKHI) का पूल ग्रामीण वित्तीय समावेशन के लैंगिक आयाम को मजबूत करता है.

नाबार्ड के अनुसार स्वयं सहायता समूह (SHG)-बैंक लिंकेज कार्यक्रम देश के लगभग 100 मिलियन परिवार तक पहुँचने वाला विश्व का सबसे बड़ा समन्वित माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम बन चुका है और 84 प्रतिशत से अधिक समूह विशेष रूप से महिलाओं के हैं. यह तथ्य इस बात को रेखांकित करता है कि सूक्ष्म-वित्त, बचत-संस्कृति और सामुदायिक ऋण-प्रबंधन ने ग्रामीण महिलाओं के लिए बैंकिंग प्रणाली के दरवाजे खोले हैं। इससे पहले, अधिकांश गरीब ग्रामीण महिलाएँ अनौपचारिक साहूकारों, पारिवारिक निर्भरता या स्वयं की नगण्य बचत तक सीमित रहती थीं। SHG मॉडल ने इस निर्भरता को आंशिक रूप से तोड़ा है।

शोध-साहित्य भी इस प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। रंजुला बाली स्वेन और फैन यांग वालेंटिन ने SHG-सदस्यता को महिलाओं के निर्णयात्मक सशक्तीकरण से जोड़ा है, जबकि डीनिंगर और लियू ने भारत में नवाचारी SHG मॉडल के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को सकारात्मक बताया है| इन अध्ययनों से स्पष्ट है कि स्वयं सहायता समूह (SHG) केवल ऋण-संरचना नहीं, बल्कि सामाजिक पूंजी, सामूहिक सौदेबाजी और आत्मविश्वास का माध्यम भी है। समूह-आधारित बचत और ऋण-चक्र महिलाओं को घरेलू उपभोग, लघु उद्यम, पशुपालन, किराना, सिलाई, खाद्य-प्रसंस्करण, कृषि-आधारित पूरक गतिविधियों और आकस्मिक संकट-प्रबंधन के लिए संसाधन उपलब्ध कराते हैं।[6]

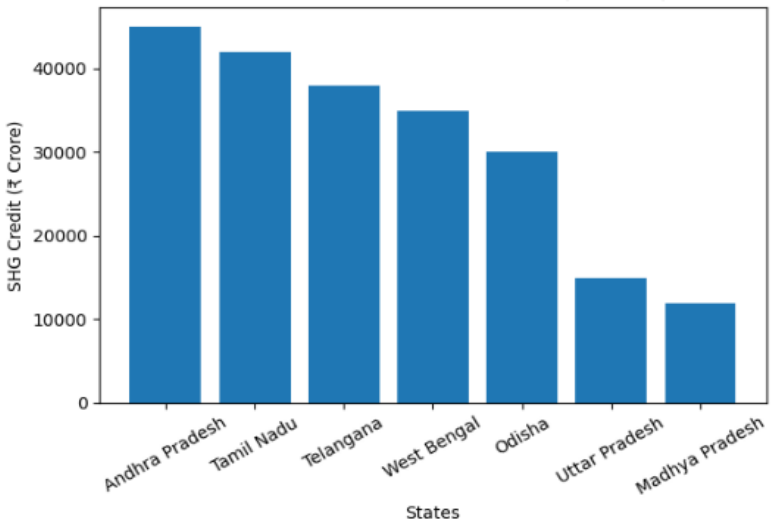

चित्र 1. 1: राज्यवार महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण-वितरण का तुलनात्मक प्रतिरूप (2023–24)

भौगोलिक दृष्टि से स्वयं सहायता समूह (SHG) और ऋण-वितरण का विस्तार समरूप नहीं है। 2023-24 के राज्यवार आँकड़े दिखाते हैं कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे राज्यों में महिला SHGs को बड़े पैमाने पर ऋण-वितरण हुआ, जबकि कई पर्वतीय या संस्थागत रूप से कमजोर राज्यों में यह मात्रा कम रही. [7] रेड्डी और मलिक ने भी स्वयं सहायता समूह (SHG)-बैंक लिंकेज कार्यक्रम में दक्षिण भारत की ऐतिहासिक बढ़त और क्षेत्रीय असमानता को रेखांकित किया है. [8] अतः दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) का प्रभाव "स्थानिक संस्थागत घनत्व" पर बहुत निर्भर करता है।

4.2 विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एवं आजीविका मिशन - ग्रामीण (VB G-RAM G) और श्रम-आधारित सशक्तीकरण

VB-G-RAM G महिलाओं के लिए एक अलग प्रकार का अवसर प्रदान करती है। यह योजना मजदूरी-आधारित सार्वजनिक रोजगार के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को आय-सुरक्षा देती है, साथ ही महिलाओं को स्थानीय स्तर पर वेतनयुक्त कार्य में भाग लेने का अवसर भी देती है। आधिकारिक उत्तर के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी दर 2019-20 में 54.79 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में बढ़कर 58.89 प्रतिशत हो गई. [9] यह वृद्धि महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कानून के अनुसार कम-से-कम एक-तिहाई लाभार्थियों का महिला होना आवश्यक है; राष्ट्रीय स्तर पर

[5] ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, *योजनाओं का प्रमुख संकेतक और विश्लेषणात्मक अवलोकन (2023-24) 18* (ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, 2025)।

[6] NABARD, micro credit innovation https://www.nabard.org

[7] ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, *योजनाओं का प्रमुख संकेतक और विश्लेषणात्मक अवलोकन (2023-24)* 17-18 (ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, 2025)।

[8] A. अमरेंद्र रेड्डी और धर्म पाल मलिक, सुप्रा नोट 4 3-5 पर।

[9] भारत सरकार, राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2207, *मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी* 1 (9 अगस्त, 2024)।

वास्तविक भागीदारी इस न्यूनतम सीमा से काफी ऊपर रही है. [10]

VB-G-RAM G का महिला-उन्नयन में योगदान अनेक स्तरों पर दिखाई देता है। यह स्थानीय मजदूरी-अवसर, संकट-कालीन नकद प्रवाह, बैंक खाते से जुड़ाव और सार्वजनिक कार्यस्थल पर महिलाओं की दृश्यता बढ़ाती है। ग्राम-क्षेत्र के भीतर काम उपलब्ध होने से यात्रा-दूरी और सुरक्षा जोखिम भी कम होते हैं। अशोक पंकज और रुक्मिणी तन्खा ने चार राज्यों के अध्ययन में दिखाया कि नरेगा ने महिला श्रमिकों के आत्मविश्वास, आय-सहयोग और घरेलू मान्यता पर सकारात्मक प्रभाव डाला. [11]

फिर भी भौगोलिक विषमता यहाँ भी बहुत स्पष्ट है। 2023-24 के राज्यवार आँकड़ों में केरल में महिलाओं की भागीदारी 89.27 प्रतिशत, तमिलनाडु में 86.66 प्रतिशत, पुडुचेरी में 87.39 प्रतिशत, राजस्थान में 68.71 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश में 64.07 प्रतिशत थी; इसके विपरीत जम्मू-कश्मीर में 32.16 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 42.26 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 43.32 प्रतिशत तथा महाराष्ट्र में 43.94 प्रतिशत भागीदारी दर्ज की गई. [12] इससे यह स्पष्ट है कि महिला-उन्मुख श्रम-अवसर उपलब्ध होने के बावजूद सामाजिक-सांस्कृतिक और संस्थागत परिप्रेक्ष्य परिणामों को बदल देता है। जहाँ महिला श्रम की सार्वजनिक स्वीकृति अधिक है, वहाँ भागीदारी ऊँची है; जहाँ पितृसत्तात्मक नियंत्रण, घरेलू देखभाल-भार, भुगतान-विलंब, कार्य-उपलब्धता की अनिश्चितता या प्रशासनिक कमजोरी अधिक है, वहाँ भागीदारी अपेक्षाकृत कम रहती है।

इसलिए VB-G-RAM G का भूगोल हमें यह सिखाता है कि "काम का अधिकार" तभी महिला-सशक्तीकरण में रूपांतरित होता है जब वह स्थानीय सामाजिक व्यवस्था के भीतर उपयोगी, सुलभ और सम्मानजनक बन सके। VB-G-RAM G का प्रभाव रोजगार से आगे जाकर परिवार में महिलाओं की मोल-भाव क्षमता, संकटकालीन आय-स्थिरता और ग्रामीण सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी दृश्यता तक पहुँचता है; परंतु यही प्रभाव स्थानविशेष के अनुसार बदलता भी है।

4.3 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) और परिसंपत्ति-अधिकार

ग्रामीण महिला-उन्नयन की चर्चा में आवास को प्रायः कम महत्व दिया जाता है, जबकि सुरक्षित और स्वामित्व-संबद्ध आवास सामाजिक प्रतिष्ठा, घरेलू सुरक्षा, स्वास्थ्य, निजी जीवन, वैवाहिक स्थिति और परिवार के भीतर शक्ति-संतुलन पर गहरा प्रभाव डालता है। प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि घर का आवंटन सामान्यतः पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाता है, और कुछ परिस्थितियों में घर केवल महिला के नाम भी आवंटित किया जा सकता है. [13] यह प्रावधान महत्त्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण भारत में भूमि और मकान पर औपचारिक स्वामित्व परंपरागत रूप से पुरुष-प्रधान रहा है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार 28.07.2023 तक प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत पूर्ण हुए 2.41 करोड़ घरों में से 1,66,83,755 घर-अर्थात 69.08 प्रतिशत-या तो केवल महिला के नाम थे या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर दर्ज थे. 2024 की एक अन्य आधिकारिक सूचना के अनुसार योजना के अंतर्गत स्वीकृत घरों में 74 प्रतिशत घर महिलाओं के एकल या संयुक्त स्वामित्व में थे और नीति-स्तर पर 100 प्रतिशत महिला-स्वामित्व की दिशा में लक्ष्य व्यक्त किया गया. [14] स्पष्ट है कि यह योजना केवल "छत" उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है; यह महिलाओं को परिसंपत्ति-संबंधी पहचान भी प्रदान करती है।

भौगोलिक अर्थ में ग्रामीण आवास केवल निवास नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिति, सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य योजनाओं के अभिसरण का आधार है। प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) का संबंध शौचालय, स्वच्छ ऊर्जा, पेयजल, बिजली और कभी-कभी गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन - ग्रामीण (G-RAM JI पूर्व नाम मनरेगा)-आधारित श्रम से भी जुड़ता है. इस अभिसरण से महिलाओं के घरेलू श्रम-भार, बीमारी, असुरक्षा और सामाजिक अपमान में कमी आ सकती है।

फिर भी यहाँ भी क्षेत्रीय बाधाएँ मौजूद हैं। भूमिहीनता, भू-अभिलेख की अस्पष्टता, दूरस्थ बसावट, निर्माण-सामग्री की कीमत, तकनीकी मार्गदर्शन की कमी और स्थानीय स्तर पर चयन-संबंधी विवाद योजना के प्रभाव को सीमित कर सकते हैं। कई क्षेत्रों में महिला के नाम पर स्वामित्व दर्ज होने के बावजूद वास्तविक नियंत्रण परिवार के पुरुष सदस्यों के पास बना रहता है। अतः प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) ने महिलाओं के परिसंपत्ति-अधिकार की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम अवश्य बढ़ाया है, पर इसके सामाजिक प्रभाव की गहराई स्थानीय भूमि-संबंधों, सामाजिक मानदंडों और प्रशासनिक क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।

4.4 स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G), सुरक्षा और गरिमा

महिलाओं के सामाजिक उन्नयन में गरिमा, सुरक्षा और समय-बचत की भूमिका उतनी ही महत्त्वपूर्ण है जितनी आय और ऋण की। SBM-G का महिला-उन्मुख महत्व इसी बिंदु पर दिखाई देता है। "ग्रामीण भारत में शौचालयों तक पहुंच

[10] Id. at 1.

[11] (क) अशोक पंकज और रुक्मिणी तन्खा, "महिला श्रमिकों पर नरेगा के सशक्तिकरण प्रभाव: चार राज्यों में एक अध्ययन" 45 (30) *आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक* 45, 45-55 (2010)।

[12] भारत सरकार, राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2207, *मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी* 3 (9 अगस्त, 2024)।

[13] पत्र सूचना कार्यालय, *प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत महिला मालिक,* 1 अगस्त, 2023, यहां उपलब्ध है: https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1944744 (अंतिम बार 26 मार्च, 2026 को देखा गया).

[14] पत्र सूचना कार्यालय, आवास *दिवस 2024 मनाना: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना,* 20 नवंबर, 2024: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2075171 (अंतिम बार 26 मार्च, 2026 को देखा गया).

और महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और आत्म-सम्मान" शीर्षक अध्ययन में 5 राज्यों के 320 गाँवों में 6,993 महिलाओं और 1,297 पुरुषों से साक्षात्कार किए गए. [15] इस अध्ययन ने शौचालय-निर्माण को केवल स्वच्छता का प्रश्न न मानकर महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और स्वाभिमान से जोड़ा है।

रिपोर्ट के अनुसार शौचालय निर्माण के बाद 93 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि वे अब खुले में शौच के दौरान किसी व्यक्ति या जानवर से हानि पहुँचने के भय से मुक्त हैं। 91 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उन्हें समय-बचत हुई है और उन्हें शौच के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती। अध्ययन के संश्लेषित निष्कर्ष में 96 प्रतिशत महिलाएँ अपने घर के शौचालय से संतुष्ट या अत्यधिक संतुष्ट पाई गईं. [16] ये निष्कर्ष दर्शाते हैं कि स्वच्छता-संबंधी अवसंरचना सीधे-सीधे महिलाओं की शारीरिक सुरक्षा, गतिशीलता, निजता, मासिक धर्म स्वच्छता, निर्भर-देखभाल और मानसिक तनाव से जुड़ी हुई है।

यहाँ भी भूगोल केंद्रीय है। खुले में शौच का अनुभव दूरी, अँधेरा, जल-स्रोत, भू-आकृति और सामाजिक निगरानी से जुड़ा होता है। इसलिए शौचालय की उपलब्धता महिलाओं के दैनिक समय-भूगोल को बदल देती है। शौचालय होने पर देर रात या तड़के बाहर जाने की विवशता कम होती है, पानी/भोजन रोकने की प्रथा घटती है और गरिमा की अनुभूति बढ़ती है.

SBM-G का यह आयाम सामाजिक-आर्थिक उन्नयन की व्यापक अवधारणा को स्पष्ट करता है। यदि महिला की सुरक्षा बढ़ती है, समय बचता है, संक्रमण का जोखिम घटता है और स्वाभिमान में वृद्धि होती है, तो इससे उसकी कार्यक्षमता, स्वास्थ्य और सामाजिक सहभागिता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः स्वच्छता-योजना का योगदान अप्रत्यक्ष होकर भी अत्यंत गहरा है।

5. भौगोलिक विश्लेषण: क्षेत्रीय विषमताएँ और नीति-निहितार्थ

उपरोक्त योजनाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उन्नयन का भूगोल बहुस्तरीय है। प्रथम, उन राज्यों में बेहतर परिणाम दिखाई देते हैं जहाँ संस्थागत घनत्व अधिक है-जैसे स्वयं सहायता समूहों की लंबी परंपरा, सक्रिय बैंकिंग नेटवर्क, पंचायत-स्तरीय समन्वय और महिला-समूहों की सामाजिक वैधता। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और कुछ पूर्वी राज्य इस श्रेणी में उल्लेखनीय हैं, जहाँ स्वयं सहायता समूह (SHG) HS आंदोलन, सामाजिक पूंजी और महिला संगठन अपेक्षाकृत मजबूत रहे हैं|[17] VB-G-RAM G के उच्च महिला-भागीदारी आँकड़े भी इन राज्यों में महिला श्रम की सार्वजनिक उपस्थिति और संस्थागत स्वीकृति को रेखांकित करते हैं।

द्वितीय, अनेक मध्य और उत्तरी राज्यों में योजनाओं का विस्तार तो व्यापक है, पर परिणाम मिश्रित हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और कुछ अन्य राज्यों में महिला SHGs, आवास और शौचालय-निर्माण का विस्तार अवश्य हुआ है, किंतु बैंकिंग दूरी, पितृसत्तात्मक मानदंड, दस्तावेज़ीकरण, भुगतान-विलंब, भूमि-अधिकार और सीमित गतिशीलता जैसे अवरोधों के कारण महिलाओं का वास्तविक नियंत्रण कई बार कमज़ोर बना रहता है. यह वह क्षेत्रीय परिस्थिति है जहाँ योजना "उपस्थिति" और योजना "परिवर्तन" के बीच का अंतर साफ़ दिखाई देता है।

तृतीय, पर्वतीय, सीमांत और छितरी बसावट वाले क्षेत्रों में भू-आकृतिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ अलग प्रकार की होती हैं। वहाँ बैंक या बाज़ार की दूरी, कठिन भू-भाग, बिखरी बस्तियाँ, सीमित निर्माण अवधि, और सेवा-प्रदाय की उच्च लागत योजनाओं के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है। परंतु यह भी ध्यान देना चाहिए कि भौगोलिक दुर्गमता हमेशा निम्न महिला-भागीदारी का पर्याय नहीं है; उदाहरणार्थ हिमाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में VB-G-RAM G में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही है. [18] इससे स्पष्ट है कि स्थानीय सामाजिक संरचना, श्रम-पैटर्न और प्रशासनिक अनुकूलन भूगोल के प्रतिकूल प्रभावों को आंशिक रूप से संतुलित कर सकते हैं।

भौगोलिक अध्ययन का सबसे महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि योजनाओं का प्रभाव "समान नीति–असमान परिणाम" के रूप में सामने आता है। एक ही योजना, समान दिशानिर्देश और केंद्रीय वित्तीय समर्थन के बावजूद राज्यों और क्षेत्रों में परिणाम भिन्न हैं। इसलिए महिला-उन्नयन की नीति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बैंकिंग पहुँच, महिला गतिशीलता, जल-उपलब्धता, भूमि-अधिकार, आजीविका-पैटर्न, डिजिटल साक्षरता और सामुदायिक संस्थाओं की क्षमता जैसे स्थानविशेष कारकों को नीति-डिजाइन में शामिल करना आवश्यक है।

6. प्रमुख चुनौतियाँ

यद्यपि ग्रामीण विकास योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में बहुआयामी सकारात्मक परिवर्तन की संभावनाएँ उत्पन्न की हैं, फिर भी कुछ गंभीर सीमाएँ बनी हुई हैं। पहली, कई क्षेत्रों में महिलाओं की योजना-प्राप्ति परिवार के पुरुष सदस्यों, स्थानीय बिचौलियों या प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर निर्भर रहती है। दूसरी, आर्थिक लाभ मिलने पर भी आय या परिसंपत्ति पर महिलाओं का वास्तविक नियंत्रण सुनिश्चित नहीं होता। तीसरी, अवैतनिक देखभाल-कार्य का बोझ कम न होने से

[15] पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, *ग्रामीण भारत में शौचालयों तक पहुंच और महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और आत्म-सम्मान* iii-iv, 1 (भारत सरकार, नई दिल्ली, 2020)।

[16] Id. at 5, 23.

[17] ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, *योजनाओं का प्रमुख संकेतक और विश्लेषणात्मक अवलोकन (2023-24)* 17-18 (ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, 2025); ए. अमरेंद्र रेड्डी और धर्म पाल मलिक, सुप्रा नोट 4 3-5 पर।

[18] भारत सरकार, राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2207, *मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी* 3 (9 अगस्त, 2024)।

महिलाएँ योजना-अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा पातीं। चौथी, डिजिटल भुगतान, बैंक-लिंकिंग और दस्तावेज़ीकरण की प्रक्रियाएँ कम साक्षर अथवा दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं के लिए अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं.

पाँचवीं, योजनाओं के बीच अभिसरण हर स्थान पर समान नहीं है; आवास के साथ शौचालय, जल, बिजली और स्वच्छ ऊर्जा जुड़ने पर ही महिलाओं को वास्तविक राहत मिलती है.[19] छठी, सामाजिक-मानदंडों की बाधा कई बार सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसलिए ग्रामीण महिला-उन्नयन का प्रश्न अंततः "योजना + संस्था + समाज + स्थान" के संयुक्त समीकरण के रूप में समझा जाना चाहिए।

7. निष्कर्ष

यह शोध-पत्र स्पष्ट करता है कि ग्रामीण विकास योजनाएँ महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उन्नयन की प्रक्रिया में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने महिलाओं को सामूहिक संगठन, बचत, ऋण और वित्तीय समावेशन से जोड़ा; VB-G-RAM G ने स्थानीय मजदूरी-अवसर और सार्वजनिक श्रम-भागीदारी को बढ़ाया; PMAY-G ने परिसंपत्ति-अधिकार, सुरक्षित आवास और घरेलू गरिमा को मजबूती दी; तथा SBM-G ने सुरक्षा, सुविधा, स्वाभिमान और समय-बचत के माध्यम से महिला-जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया.[20] इस अर्थ में ग्रामीण विकास योजनाएँ केवल आय-सृजन नहीं करतीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के जीवन-संसार को बहुआयामी रूप से बदलने की क्षमता रखती हैं।

फिर भी इस अध्ययन का सबसे महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि इन योजनाओं का प्रभाव भौगोलिक रूप से असमान है। जहाँ संस्थागत तंत्र सुदृढ़ है, बैंकिंग और प्रशासनिक पहुँच उपलब्ध है, महिला-संगठन मजबूत हैं और सामाजिक स्वीकृति अपेक्षाकृत अधिक है, वहाँ योजनाओं के परिणाम अधिक गहरे और टिकाऊ हैं। इसके विपरीत, जहाँ भूमिहीनता, सामाजिक वंचना, दस्तावेज़ीकरण की कमी, दुर्गम भौगोलिक स्थिति और पितृसत्तात्मक नियंत्रण अधिक है, वहाँ योजनाओं का प्रभाव सीमित या आंशिक दिखाई देता है। इसलिए महिलाओं के वास्तविक सशक्तीकरण के लिए केवल योजनाओं की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है; आवश्यक यह है कि योजना-डिजाइन और क्रियान्वयन को स्थानविशेष की सामाजिक-भौगोलिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाया जाए।

नीतिगत स्तर पर इसका अर्थ है कि महिला-केंद्रित ग्रामीण विकास को "भौगोलिक लक्षितकरण" के साथ आगे बढ़ाया जाए-जैसे कमजोर जिलों में बैंकिंग मित्र और BC सखियों का विस्तार, SHG प्रशिक्षण की क्षेत्रविशेष रणनीति, समयबद्ध गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन - ग्रामीण (G-RAM JI पूर्व नाम मनरेगा) भुगतान, महिला-स्वामित्व वाले आवास के वास्तविक नियंत्रण की निगरानी, तथा शौचालय के साथ जल-सुरक्षा और रखरखाव का अभिसरण। तभी ग्रामीण विकास योजनाएँ महिलाओं के जीवन में सतही लाभ से आगे बढ़कर संरचनात्मक परिवर्तन का माध्यम बन सकेंगी।

संदर्भ सूची

सरकारी रिपोर्टें, आधिकारिक दस्तावेज़ और संस्थागत स्रोत

- ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, *योजनाओं का प्रमुख संकेतक और विश्लेषणात्मक अवलोकन (2023-24)* 17-19 (ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, 2025)।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, मार्च *2024 2 के लिए मासिक सारांश रिपोर्ट* 2 (नई दिल्ली, 2024)।
- भारत सरकार, राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2207**,** गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन - ग्रामीण (G-RAM JI पूर्व नाम मनरेगा **)** 1-3 *में महिलाओं की भागीदारी* (9 अगस्त, 2024)।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, *वार्षिक रिपोर्ट पर प्रेस नोट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (जुलाई 2023-जून 2024) 5* (नई दिल्ली, 2024)।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, *भारत में महिला और पुरुष 2014: अर्थव्यवस्था में भागीदारी* 1-2 (नई दिल्ली, 2014)।
- पत्र सूचना कार्यालय, *प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत महिला मालिक,* 1 अगस्त, 2023, यहां उपलब्ध: https://www.pib.gov.in/PressReleaseIfram

[19] पत्र सूचना कार्यालय, आवास *दिवस 2024 मनाना: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना,* सुप्रा नोट 20

[20] ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, *मार्च 2024 2 के लिए मासिक सारांश रिपोर्ट* 2 (नई दिल्ली, 2024); भारत सरकार, राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2207, मनरेगा 1-3 *में महिलाओं की भागीदारी* (9 अगस्त, 2024); पत्र सूचना कार्यालय, *प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत महिला मालिक,* सुप्रा नोट 18; पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, *ग्रामीण भारत में शौचालयों तक पहुंच और महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और आत्म-सम्मान* 4-5, 23 (भारत सरकार, नई दिल्ली, 2020)।

ePage.aspx?PRID=1944744 (अंतिम बार 26 मार्च, 2026 को देखा गया)।

- पत्र सूचना कार्यालय, *आवास दिवस 2024 मनाना: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना*, 20 नवंबर, 2024, यहां उपलब्ध है: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2075171 (अंतिम बार 26 मार्च, 2026 को देखा गया)।
- पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, *ग्रामीण भारत में शौचालयों तक पहुंच और महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और आत्म-सम्मान* 1-23 (भारत सरकार, नई दिल्ली, 2020)।
- नाबार्ड, *माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन*, यहां उपलब्ध है: https://www.nabard.org/contentsearch.aspx?AID=225&Key=shg+bank+linkage+programme (अंतिम बार 26 मार्च, 2026 को देखा गया)।
- भारतीय विधि संस्थान, *प्रशस्ति पत्र शैली* (आईएलआई, नई दिल्ली), यहां उपलब्ध है: https://ili.ac.in/cstyle.pdf (अंतिम बार 26 मार्च, 2026 को देखा गया)।

शोध-लेख

- रंजुला बाली स्वैन और फैन यांग वालेंटिन, "क्या माइक्रोफाइनेंस महिलाओं को सशक्त बनाता है? भारत में स्वयं सहायता समूहों से साक्ष्य" 23 *एप्लाइड इकोनॉमिक्स की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा* 541 (2009)।
- क्लॉस डीनिंगर और यानयान लियू, "भारत में एक अभिनव स्वयं सहायता समूह मॉडल के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव" 43 *विश्व विकास* 149 (2013)।
- अशोक पंकज और रुक्मिणी तन्खा, "महिला श्रमिकों पर नरेगा के सशक्तिकरण प्रभाव: चार राज्यों में एक अध्ययन" 45 (30) *आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक* 45 (2010)।
- A. अमरेंदर रेड्डी और धर्म पाल मलिक, "ए रिव्यू ऑफ स्वयं सहायता समूह (SHG)-बैंक लिंकेज प्रोग्राम इन इंडिया" 7(2) *इंडियन जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट* 1 (2011)।

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, conclusions, and opinions expressed in articles published in this journal are exclusively those of the individual author(s) and contributor(s). The publisher and/or editorial team neither endorse nor necessarily share these viewpoints. The publisher and/or editors assume no responsibility or liability for any damage, harm, loss, or injury, whether personal or otherwise, that might occur from the use, interpretation, or reliance upon the information, methods, instructions, or products discussed in the journal's content.

****